



# यू० पी० बैंक इम्प्लाइज यूनियन

पंजीकरण संख्या-538  
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध

केन्द्रीय कार्यालय : 106/107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26/2/4, संजय प्लेस, आगरा-282002  
पत्र व्यवहार : 3/17, विभव नगर, आगरा-282 001, मो: 09837472750

फोन/फैक्स: (नि०) 0562-4044383, E-mail: mmrai\_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com



परिपत्र संख्या : 2019-22/54/2020

दिनांक : 29.03.2020

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों  
जिला इकाईओं के मंत्रियों/अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

## दृष्टिबाधित कर्मचारियों की समस्यायें

उपरोक्त विषय में हमारे पूर्व परिपत्र संख्या 2019-22/50/2020 दिनांक 27.03.2020 का संज्ञान लें जिसके माध्यम से हमने दृष्टिबाधित कर्मचारियों की समस्याओं के विषय में एआईबीईए के पत्र का अनूदित सार प्रस्तुत किया था। अब इस विषय में एआईबीईए के महामंत्री द्वारा श्री सुनील मेहता, मुख्य कार्यकारी, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन को पुनः पत्र संख्या एआईबीईए/जीएस/2020/37 दिनांक 28.3.2020 लिखा गया है जिसका अनूदित सार आप सभी के सूचनार्थ नीचे प्रस्तुत किया जा रहा है।

अभिवादन सहित,  
आपका साथी

(मदन मोहन राय)  
महामंत्री

प्रति,  
श्री सुनील मेहता  
मुख्य कार्यकारी,  
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन  
मुम्बई

प्रिय महोदय,

**विषय : दृष्टिबाधित कर्मचारी**

**संदर्भ : हमारा पत्र संख्या 34 दिनांक 26.3.2020**

इस विषय पर हमारे उपरोक्त पत्र के आगे, हम देखते हैं कि सरकार, कार्मिक मंत्रालय ने सरकारी विभागों को और निर्देश जारी किए हैं (संदर्भ : कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.3.2020) यह दोहराते हुए कि दृष्टिबाधित कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति का रोस्टर तैयार करते समय कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी जाये।

हम एक बार फिर आईबीईए से इस पर ध्यान देने और बैंकों में काम करने वाले दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए समान सहानुभूतिपूर्ण विचार के लिए समान निर्देश जारी करने का आग्रह करते हैं।

सधन्यवाद,

आपका विश्वासपात्र,  
ह...  
सी.एच. वेंकटचलम्  
महामंत्री

संलग्नक : सरकारी कार्यालय ज्ञापन

No. 11013/9/2014-Estt. (A.III)  
Government of India  
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions  
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi  
27<sup>th</sup> March, 2020

**OFFICE MEMORANDUM**

**Subject: Preventive measures to contain the spread of COVID19 - Guidelines for protection and safety of Persons with Disabilities (Divyangjan) during COVID-19.**

In continuation of this Department's OM of even no. dated 25.03.2020, all the concerned Ministries/ Departments, while drawing up roaster of staff who are required to attend essential services within their respective Ministry/ Department may keep in mind that employees, who are persons with disabilities (PwD) are exempted.

*G. Jayanthi*  
(G. Jayanthi)  
Joint Secretary

To

1. All the Ministries/Departments of the Government of India
2. PMO/Cabinet Secretariat
3. PS to MoS(PP)
4. PSO to Secretary(Personnel)
5. Sr. Technical Director, NIC, DoPT